A 1/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी –जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी- महेन्द्र मीणा आर. ए. एस

नामान्तकरण अपील संख्या 01/2014

अपीलाण्ट्स :–

गोदावरी पुत्री स्वर्गीय श्री किस्तुरराम जाति बावरी उम्र 90 वर्ष निवासी मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण:–

1 हीराराम पुत्र किस्तुरराम जाति बावरी निवासी सिडियास (मण्डावरा) के कायम मुकाम :–
1/1 राधा पत्नि हीराराम जाति बावरी निवासी सिडियास (मण्डावरा)
1/2 रामेश्वर
1/3 चौथू पिसरान हीराराम जाति बावरी निवासी सिडियास (मण्डावरा)
1/4 सुगना पुत्री हीराराम पत्नि कैलाश जाति बावरी निवासी सिडयास
1/5 सोहनी पुत्री हीराराम पत्नि भैरू जाति बावरी निवासी चारणा की ढाणी पोस्ट कालवा
वाया बोरावड तहसील मकराना।

2 गिरधारी पुत्र किस्तुरराम जाति बावरी निवासी सिडियास (मण्डावरा) के कायम मुकाम :–
2/1 राधा पत्नि गिरधारी जाति बावरी निवासी सिडियास (मण्डावरा)
2/2 प्रकाश पुत्र गिरधारी जाति बावरी निवासी सिडियास (मण्डावरा),
2/3 रेवती पुत्री गिरधारी पत्नि खेताराम जाति बावरी नि0 सबलपुरा (बोरावड़)
2/4.धनडी पुत्री गिरधारी पत्नि नरसी जाति बावरी नि सबलपुरा (बोरावड)

3 श्रीमान संरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी

4 श्रीमान ग्राम सेवक ग्राम पंचायत मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी

5 श्रीमान पटवारी पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामन सिटी

6 श्रीमान उपपजियक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामन सिटी (नागौर)

उपस्थित :–

अधिवक्ता अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मौहम्मद हनीफ एडवोकेट
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 व 2/2 के अधिवक्ता श्री बोदूराम
रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 2/4 अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत सिडियास पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर का नामान्तकरण कार्यवाही प्रविष्टी संख्या 68 दिनांक 26.12.1968 के विरूद्व

दिनांक 9/6/2017

निर्णय

1 अपील के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाजून पटवार मण्डल नारायणपुरा में स्थित गत खसरा नम्बर 123 कुल रकबा 39 बीधा 15 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट हीराराम व गिरधारी के पिता श्री किस्तुर को तत्कालिन जागिरदार ने चौकीदारी की सेवाओ के ऐवज में काश्त हेतु दी थी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अपीलाण्ट के पिता किस्तुर का प्रथम सेटलमेंट से पूर्व लागू मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम केअनुसार कब काश्त होने के एवं लागू होने वर्तमान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पसायतदार की हैसियत से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये ओर लगान अदा करने उक्त कृषिभूमि की जमांबदी में किस्तुर बावरी के हक में दर्ज रही, पिता किस्तुर व मुस्मात माता फैफली के संसर्ग से अपीलाण्ट हीरालाल व गिरधारी उत्पन्न हुये,अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के पिता श्री किस्तुर व मुस्मात फेफली का वर्ष 1967 के आसपास निर्वसीयती देहान्त हो चुका है, तदुरान्त नावा में बीधा नाप प्रणाली के स्थान पर हैक्टर नाप प्रणाली प्रभाव में आने व द्वितीय सेटलमेट के समय उक्त आराजी के हरियाजून की जमांबदी में नवीन खसरा नम्बर 85 रकबा 6.63 हैक्टर दर्ज है, श्री किस्तुर व फैफली की मृत्यू के बाद उसकी जगह उसके सभी जीवित वारिसान हीरालाल, गिरधारी सहित अपीलाण्ट का नाम खसरा नम्बर 123 की कृषिभूमि में खातेदारी अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु रेस्पोडेन्ट हीरालाल, गिरधारी द्वारा ग्राम पंचायत मण्डावरा को अपने प्रभाव में लेकर तत्कालिन सरपंच पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व दिगर राजस्व अधिकारियो से मिली भगति कर बाला बाला ही बगैर अपीलाण्ट के पक्ष को सुनवाई का अवसर व सूचना दिये उक्त कृषि आराजी से अपीलाट का वैधानिक हक हिस्से को हड़प लेने की नीयत से अपीलांट के हक हिस्से को दरकिनार करते हुये केवल हीरालाल व गिरधारी के पक्ष में दिनांक 26/12/1968 को प्रभावी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिसो के संबन्ध में बगैर जांच नामान्तकरण कांट छांट कर नामान्तकरण पंजिका में राजस्व प्रविष्टि संख्या 68(62) स्वीकृत कर निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26/12/1968 को तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा से स्वीकृति नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 68(62) दिनाक 26/12/1968 अपास्त किये जाने योग्य है। अपील के आधारो में अपीलाण्ट के कथन रहे है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डावरा ने बिना किसी कानूनी प्रावधान के व बिना किसी वैध अधिकार के व बिना अपीलाण्ट्स को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रावधानो में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के विपरीत आक्षेपित नामान्तकरण हीरालाल व गिरधारी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही गैरकानुनी होने, अपील के आधार के बारे में उल्लेखित पैरा संख्या 2 में वर्णित सजरा खानदान का उल्लेख कर किस्तूर बावरी निवासी मण्डावरा के देहान्त के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारियो का विवरण देकर बताया की उक्त वंशावली में किस्तुर चंद के वंशजो में जो पुत्री वारिस अपीलाण्ट गोदावरी दर्शाया गया है उसमें अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व उनके अस्तित्व को छुपाकर केवल किस्तुर के पुत्रो हीरालाल व गिरधारी के पक्ष में केवल लड़के होने के आधार पर विधिक विधान एवं भारतीय संविधान के अनुछेद 14 के विरूद्व जाकर लैंगिक भेदभाव करते हुये अपीलाण्ट केवल स्त्री होने के आधार पर विरासत के आधार पर ग्राम पंचायत मण्डावरा ने प्रविष्टि की संख्या में कांट छांट कर केवल हीरा व गिरधारी के नाम बिना जांच साक्ष्य सबुत रेकर्ड पर लिये ही, अपीलाण्ट के पक्ष को बिना युक्ति युक्त रूप अवसर दिये एकपक्षीय रूप से नामान्तकरण संख्या 68 (62) भरकर भारी त्रुटि की है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपने जन्म से ही अशुद्व, अवैध

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A3/22

विधि विरूद्व एवं प्रारम्भ से ही शुन्य होने से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का अधिकार प्रदत्त नही करती है इसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है इसलिए मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है, वादविषयक कृषि आराजी से अपीलाण्ट को वंचित करने के कारण अशुद्व गलत ab-intio-void राजस्व प्रविष्टि दुरूपयोग वर्ष 1967 के मध्य गत खसरा नम्बर 123 रकबा 39 |||/ बीधा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पक्ष में अंकन करवा लिया उक्त कृषिभूमि के मौके पर वास्तविक एवं व्यवहारिक रूप से कब्जा वैधानिक खातेदारी अधिकारो के परिपेक्ष्य में प्रारम्भ से ही अवैध होने से ab-intio-void है। अपीलाधीन नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 68 (62) तत्सयम निरीक्षक नावा द्वारा जांच अंकन दिनांक 26/12/1968 को स्वीकृती किये जाने की कार्यवाही व आदेश अपास्त किया जताकर उक्त नामान्तकरण को अस्वीकार करके वर्तमान खसरा नम्बर 85 पुराने खसरा नम्बर 123 वाके ग्राम हरियाजून की खातेदारी अंकन अपीलाण्ट के नाम से किया जाने का आदेश प्रदान करावें। दिगर दादरसी मुफिद अपीलांट समझी जावे अता फरमावें, खर्चा अपील अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्टस से दिलवाया जावे।

2. अपीलाण्ट् की तरफ से दस्तावेज सूची के साथ ग्राम हरियाजून की नामान्तकरण पंजिका संख्या 68(62), जमांबदी खसरा नम्बर 85 पर्चा लगान सेटलमेंट विभाग, भूमि विलेख ग्राम पंचायत मण्डावरा मिसल संख्या 108/87–88 हीराराम गिरधारीराम पुत्र किस्तुराम गोदावरी पुत्री किस्तुराराम बावरी मण्डावरा, परिवार राशनकार्ड, निर्वाचन कार्ड, विधवा पेशन भुगतान आदेश, श्रमिक नियोजक परिवार कार्ड, तहसील नावां, वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत किये गये।

3 उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलबी हेतु नोटीस जारी किये गये, नामान्तकरण रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब हेतु तहरीर जारी कि गयी ।

4 रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 व 2/2 के अधिवक्ता श्री बोदूराम उपस्थित हुये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 2/4 अनुपस्थित रहे,

5 रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 1/3 व 2/2 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर उक्त कृषिभूमि तत्कालीन जागीरदार से बतौर पसायतदार प्राप्त हुई थी और उक्त जागीरदारी उन्मूलन कब्जा काश्त किस्तूर जी का होने से रेस्पोडेन्ट्स के दादा श्री किस्तूर जी के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी ओर उनके देहान्त के बाद नियमानुसार स्वर्गीय किस्तूर जी के पुत्र हीराराम जी व गिरधारी जी के नाम दर्ज हुई । अपीलाण्ट गोदावरी स्व. किस्तूर जी की पुत्री नही थी, आज कल जमीनो के भाव बढ़ जाने से अपीलाण्ट गोदावरी ने मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अपने आपको स्व. किस्तुर जी की पुत्री बताकर निराधार अपील पेश की है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारिज है। अन्य तथ्य अपीलाण्ट न्यायालय सन्तुष्टि तक साबित करे, पेरा नम्बर 2 में अपीलाण्ट ने किस्तूर जी व फेफली की मृत्यू के बाद उनके जीवित सभी वारिसान के नाम खसरा नम्बर 123 की कृषि भूमि जरिये नामान्तकरण दर्ज होनी चाहिए थी, ऐसा लिखा है परन्तू न तो सभी वारिसान का नाम लिखा है ओर नही

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A 4/23

श्री किस्तूर जी व फेफली की मृत्यू की तिथि अथवा कोई सबूत ही पेश किये है, नामान्तकरण में कांट छांट व गैर कानूनी रूप से नामान्तकरण करा लिये जाने को अपीलाण्ट न्यायालय सन्तुष्टि तक स्वयं साबित करे, इसी पैरा के पेज नम्बर 3 की ऊपर से पांचवी पंक्ति में जो हीरालाल व गिरधारी वगैरह द्वारा अपीलाटस के वैध पैतृक हक हिस्सों का जो उल्लेख किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि अपील करने वाले भी एक से अधिक है तथा रेस्पोडेंट भी हीरालाल व गिरधारी के अलावा एक से अधीक है तथा रेस्पोडेन्ट्स भी हीरालाल व गिरधार है जिनके नाम अपीलाण्ट ने खुलासा नही किये है अतः पैरा अस्पष्ट होने से अस्वीकार है, अपीलाण्ट किस्तुरजी की पुत्री थी या है तो अपने वारिस होने के तथ्य को न्यायालय सन्तुष्टि तक साबित करे अपीलाण्ट द्वारा वर्णित वंशावली में स्वय तो श्री किस्तुरजी जी की पुत्री बताना पूर्णतया गलत व काल्पनिक है शेष वंशावली सही है अन्य तथ्य अपीलाण्ट स्वय न्यायालय हाजा की सन्तुष्टि तक साबित करे अपीलाण्ट सभी तथ्यो को न्यायालय हाजा की सन्तुष्टि तक स्वयं ही साबित करे अपीलाण्ट की अपील आधारहीन होने के कारण काबिल है जिसे खर्चो सहित खारिज करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 व 2/2 की तरफ से कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया।

6. कि अपीलाधीन नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 68 (62) के सम्बन्ध में पटवारी पटवार मण्डल मण्डावरा को भेजी गयी तहरीर में इस आशय का प्रत्युत्तर इस आशय का प्राप्त हुआ कि वर्णित नामान्तकरण सम्बन्धी रेकार्ड चार्ज में प्राप्त नही हुआ है ओर मूल रेकर्ड अभिलेख पर उपलब्ध नही है।

7 कि प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ताओ की ओर से बहस सुनी गयी अपीलाण्ट की ओर से बहस के समय आर आर टी 2013 (2) 1284 महादेव देवी व अन्य बनाम प्रहलाद ओर अन्य, आर आर टी 2009 (2) 1280 किशनाराम बनाम फुलीदेवी, आर. आर. डी 1994 पृष्ट 77 मूलसिंह बनाम जसंवत कंवर ओर अन्य, आर. आर. डी 1993 पृष्ट 415, श्रीमति पारा बनाम गंगा ओर अन्य R.R.D.1998 Page 319, Urban improvemnt Trust V/s Pooam chand (123) आर. आर. डी. 1994 पृष्ट 606 गिरीजा बाई बनाम श्रीमति नाथी बाई प्रस्तुत किये गये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख,न्यायिक दृष्टान्तो सादर का अवलोकन किया गया बहस व दस्तावेजी साक्ष्य का अदालत द्वारा मनन किया गया,

8 अभिभाष्य अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यही तर्क रहा है – कि विवादग्रस्त आराजीयान के किस्तुराराम रेकर्डेड खातेदार थे, नामान्तकरण संख्या 68 (62) दिनांक 26/12/1968 उत्तराधिकारी के आधार पर किस्तुरा राम के स्थान पर हीरा, गिरधारी पिसरान कीस्तूरा की तस्दीक की गयी है जो किस्तुरा की मृत्यू होना प्रमाणित करता है, किस्तुरा की मृत्यू होने के तथ्य को रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अस्वीकार नही किया गया है, अपीलाण्ट बाल विधवा होने के कारण जीवन पर्यन्त अपने पीहर में ही निवास किया है, किस्तुरा जी का सन् 1968 में देहान्त हो जाने के कारण बडी सन्तान होने के कारण रेस्पोडेन्ट हीरा व गिरधारी की देख रेख अपीलाण्ट ने ही की है, नामान्तकरण कार्यवाही में अपीलाण्ट के पक्ष को युक्तियुक्त रूप से सुनवाई का अवसर नही दिया गया हे, एकपक्षीय रूप से केवल सर्वसम्मती से नामान्तकरण तस्दीक की कार्यवाही ग्राम पंचायत मण्डावरा द्वारा की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गयी, जो प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावहीन होने के कारण इसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, अपीलाण्ट किस्तुरा की पुत्री होना अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित है ओर किस्तुरा एवं इसकी पत्नि फेफली की मृत्यू पर अपीलाण्ट भी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 प्रथम अनुसूची में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के बावजुद केवल औरत होने के कारण पुरूषोचित मानसिकता के कारण वैधानिक/संविधान प्रावधानो के विपरीत जाकर केवल पुरूष वारिसान क्रमशः हीरा व गिरधारी के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है।

9.अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में राजस्व मण्डल का निर्णय आर आर टी 2013 (2) 1284 महादेव देवी व अन्य बनाम प्रहलाद ओर अन्य में पारित निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें उद्वरित है कि "Rajasthan Land Revenu Act 1956 Sec. 84 Land not mutated the name of the daughters of deceased 'B' -Appeal filed by the daughters was dismissed- Daughthers are the heirs of Ist category & can not beleft arbirarily- in such exparte order limitation is not material - petitioner can not be compelled to file the suit for declaration salt of land is enforeceable to the extent of 1/2 share of sons of deceased 'B' Held Order set saide."

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व मण्डल का निर्णय आर आर टी 2009 (2) 1280 किशनाराम बनाम फुलीदेवी में पारित निर्णय के पैरा 7,8,9,10,11 का ससम्मान अवलोकन किया गया इसमें Rajasthan Land Revenu Act 1956 Sect 84 Mutation – "Tehasildar attested the mutation only in the name of son 'LR' collector allowed the appeal & treated it within limitation because daugthers of 'BR' also have right in the property- collector remanded the case to thesildar to attest the mutation in favour of the daugthers- No consentto the daughters - No evidence that the petitioner on his father have bear the expenses of marrige of no petitioners No. 1 & 2 Appeal rightly held to bewithin limitation- concurrent findings Held, Revision is liable to be dismissed" (6,7,8) इसी प्रकार आर. आर. डी 1994 पृष्ट 77 मूलसिंह बनाम जसंवत कंवर ओर अन्य में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि (A) Hindu Succession Act 1956, Section 8 & 9 "A daughter takes a share in the property of the deceased simultaneous with the widow and the son" (Para 8)

(B) Limitation Act Section 3 –"Mutation attested in favour of the widown and adoted son of decesaed without notice to the daugthers -Appeal by daughters- Limitation will computed from date of knowlage not from date of ordr." (Para8) आर. आर. डी 1993 पृष्ट 415, श्रीमति पारा बनाम गंगा ओर अन्य में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि –"Attestation of mutation -Mutation is a fiscal proceeding. which does not determine the rights of the parties-A party which did not inherit any right in the estate cannot claim such right merely because a share in the estate had been mutated in its names."

R.R.D. 1998 Page 319, Urban improvemnt Trust V/s Pooam chand (123) Hon'ble Rajasthan High Court ने Limitation Act 1963 Section 5 को पेरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

19 में स्पष्ट किया है "Now it must be taken to be well settled principaple of law that before rejecting application under section 5 of the Indian Limiation Act and dismisssing appealas as barred by lapase of time, the courts of law are required put a glance as a condition precedent on the merits of the appeals and unless the appeals are found to be hoplessly devoid of merits ordinarily efforts should be made to decide the appeals on merits Failure to do so in present appeal such by learned lower appellate court has resulted in miscarriage of justice and as such its judgment and decree under appeal is lible set aside." इसी प्रकार आर.आर. आर. डी. 1994 पृष्ट 606 गिरीजा बाई बनाम श्रीमति नाथी बाई में Limitation Act Section 5 के संबन्ध मे उद्वरित किया है कि "Order ab- intio illegal void and without jurisdiction pased without notice to affected party cannot be sustained" (Para 4).

आर.आर.डी 1993 पृष्ट 411 में Limitation Act Section 3 "Entries reagarding title changed by Asstt. Land Records Officer on the basis of application by opposite party though during settlement operations existing entries can be changed only accodance with decree judgment of competent court legal transfer deed or order of court - Order , void ab intio and court be set saide at any time - No question of limitation involved - Order of settlement Commissionr seting aside impuged Order cannot be assailed" (Para 4) मेरी राय में उक्त प्रकरण में उक्त न्यायिक सिद्वान्त सुसंगत है, पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 68(62) के कॉलम संख्या 5, में किस्तुराराम का अंकन है कॉलम संख्या 11 में हीरा, गिरधारी के नाम है कॉलम संख्या 14 खातेदारी नामान्तकरण उत्तराधिकारी भरा गया का उल्लेख है, पैतृक कृषि आराजी से अपीलाण्ट्स को वंचित करने अपीलाधीन कृषि आराजी मे अपीलाण्ट् के हितो तक अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा बताये गये कारणो व न्यायिक दृष्टान्तो प्रकरण में लागू होते है इस परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में हुई कथित देरी को कालबाधित नही माना जा सकता, प्रकरण में अपीलार्थी का मृत खातेदार श्री किस्तुर की पुत्री होने के तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध लोक दस्तावेजो से भी होती है, रेस्पोडेन्ट 1 से 2 मृतक खातेदार स्वर्गीय श्री किस्तुर के पुत्रगण है ये निर्विवादित है, आक्षेपित नामान्तकरण कार्यवाहीय में अपीलार्थी के पक्ष को सुचित कर इसके पक्ष को सुना गया हो ऐसा कही भी अंकन नही है, अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य नही है कि अपीलार्थी द्वारा विधिवत निष्पादित पंजिकृत हस्तान्तरण संबन्धी दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया हो, प्रमाणित प्रतिलिपि नामातकरण पंजिका के कॉलम में ग्राम पचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृति से संबन्ध में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्याक 68 (62) में कांट छांट भी है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तकरण मनमर्जी से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की गयी है, विवादित आराजी के मृतक खातेदार किस्तुरा की जीवित अपीलाण्ट पुत्री का भी मृतक पिता की खातेदारी अधिकारो की उक्त कृषि भूमि में अधिकार बनता है फिर भी अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 68(62) अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही केवल पुत्रो (लड़के) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 को ही उक्त मृतक किस्तुरा के उत्तराधिकारी मानते हुये स्वीकार किया गया है जो प्रभावी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A 2/26

मृतक खातेदार किस्तुरा के प्रथम श्रेणी के सभी उत्तराधिकारियो के पक्ष मे नही होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है ओर सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरा पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर का नामान्तकरण कार्यवाही प्रविष्टी संख्या 68 (62) जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 26/12/1968 अंकित की गयी पूर्णतया अपास्त किया जाता है। ओर तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित कृषि भूमि के संबंध में वह विधि अनुसार मृतक खातेदार श्री किस्तुरा पुत्र शिवजी कौम बावरी के उत्तरजीवी वारिस अपीलाण्ट् पुत्री व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 पुत्र/विधिक वारिसान के क्लेम को नोटिस द्वारा पुनः सुनवाई का अवसर देकर नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 9/6/2011 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)